राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

क्रमांक–प.2/लेखा–3/क्रय/औ.मां.एवं उपा./पार्ट–II/606/2022–23/22334 दिनांकः 15.12..2022

ई–बोली विज्ञप्ति वर्ष 2022–23
(विस्तृत बोली विवरण)
(आयुर्वेदिक औषधियों के लिए कच्चे घटक द्रव्यों के क्रय हेतु)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागीय रसायनशालाओं के उपयोगार्थ निम्न लिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुभवी/विख्यात निर्माता/ आपूर्तिकर्ता/थोक विक्रेता/प्राधिकृत डीलर राजकीय एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम, निगम, स्वायतशासी संस्था, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव समितियां, कम्पनियों से आयुर्वेदिक कच्ची औषधियाँ, वन औषधियाँ एवं जड़ी बूटियां आदि जॉब वाईज क्रय करने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (लाखों में)	बोली फॉर्म का शुल्क (रू.में)	ई–टेण्डरिंग प्रोसेसिंग फीस (रू.में)		ऑन लाईन बोली		
						फॉर्म डाउन लोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	फॉर्म अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	बोली प्रतिभूति / शुल्क इत्यादि भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक व समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक एंव समय
1	कच्ची आयुर्वेदिक औषधियाँ, वन औषधियाँ एवं जड़ी बूटियां आदि जॉब के अनुसार रसायनशालाओं में आपूर्ति हेतु	105.00	2.10	2000	1000	15.12.2022 दोपहर 3.00 बजे से	05.01.2023 दोपहर 1.00 बजे तक	05.01.2023 शाम 5.00 बजे तक	06.01.2023 दोपहर 1.00 बजे

नोट :–

(1) बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर ऑनलाईन देखा जा सकता है एवं बोली केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी।

(2) इच्छुक बोलीदाता को ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपने डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर होना आवश्यक है।

(3) बोली विज्ञप्ति, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in., sppp.rajasthan.gov.in एवं health.rajasthan.gov.in/ayurved पर भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

(4) प्री–बिड की बैठक दिनांक 23.12.2022 को प्रातः 11.30 बजे निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर में आयोजित की जावेगी। प्री–बिड मीटिंग में वही बोलीदाता सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होने निविदा प्रक्रिया हेतु टेन्डर फीस का ई–चालान जमा करा दिया हो। उक्त साक्ष्य/प्रमाण हेतु ई–चालान की प्रति साथ लेकर आवे। दूरभाष–0145 2623943

(4) क्रय में RTPP act 2012 एवं rules 2013 तथा GF&AR व राज्य सरकार के आदेश/नोटिफिकेशन लागु होगे।

sd
निदेशक

क्रमांक–प.2/लेखा–3/क्रय/औ.मां.एवं उपा./पार्ट–II/606/2022–23/22334 दिनांकः 15.12.2022

1. संयुक्त शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त ।
3. अतिरिक्त निदेशक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएँ,राजस्थान, अजमेर ।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर ,उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा ,जयपुर।
5. समस्त व्यवस्थापक आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर,उदयपुर,जोधपुर,भरतपुर,केलवाडा (बारां)।
6. मैसर्स..
   ....
7. नोटिस बोर्ड निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर/जनसम्पर्क कार्यालय अजमेर।

ह0
निदेशक

<u>राजस्थान सरकार</u>

<u>निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर</u>

ई–बोली विज्ञप्ति वर्ष 2022–23 सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनायें/नियम

(आयुर्वेद औषधियों के लिए जॉब वाईज कच्चे घटक द्रव्यों हेतु)

बोलियाँ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने की **अन्तिम दिनांक 05-01-2023 को दोपहर 1.00 बजे तक होगी। कोई भी बोली ऑफ लाईन स्वीकार्य नहीं होगी।**

1 बोली के 2 इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे (1) तकनीकी बिड एवं (2) वित्तीय बिड के होगें।

2 तकनीकी बिड दिनांक **06.01.2023 को दोपहर 1.00** बजे कार्यालय <u>निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर</u> में खोली जावेंगी। यदि किसी कारण से समस्त बोलियाँ नहीं खोली जा सकी, तो आगामी कार्य दिवस में बोलियाँ खोली जाने का कार्य जारी रहेगा।

3 <u>तकनीकी बिड के प्रथम लिफाफे में निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यतः पूर्ति करें एवं सम्बन्धित दस्तावेज आवश्यक रूप से स्कैन कर अपलोड करें। इसके अभाव में आपको तकनीकी बिड में अयोग्य घोषित किया जा सकता हैः–</u>

(1) बोली घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 के अनुसार Annexures'ABCD' में भी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(2) (अ) वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र कमांक प.6 (5) वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 जयपुर, दिनांक 27.04.2020 में वर्णित प्रकिया अनुसार ई–ग्रास पर ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु चालान से बिडर द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाइल बनानें के बाद बोली दस्तावेज मूल्य , R.I.S.L हेतु फीस एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। (चालान की प्रति अपलोड करें।)

(i) R.I.S.L फीस सिविल विभाग की निविदा हेतु बजट मद 8658–00–102–(16)–(01) में जमा कराई जावेगी।

(ii) बोली दस्तावेज मूल्य राजस्व मद 0075–00–800–52–01 में जमा करानी होगी।

(iii) बोली प्रतिभूति राशि बजट मद 8443–103 (सिविल विभाग हेतु) में जमा करानी होगी।

(iv) 100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित **(संलग्नक–अ)** के अनुसार पोर्टल पर अपलोडिंग करने के पश्चात कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर को भौतिक रूप से दिनांक **05.01.2023 को शाम 5.00 बजे** तक प्राप्त हो जाने चाहिये अन्यथा इसके अभाव में तकनीकी बिड नहीं खोली जावेगी। यदि डाक देरी से प्राप्त होती है, तो इसके लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

(2) (ब) **बोली प्रतिभूति राशिः–**

बोली प्रतिभूति राशि रू. 2.10 लाख ई–चालान के माध्यम से बजट मद 8443–103 (सिविल विभाग हेतु) में जमा करानी होगी एवं चालान की प्रति निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर को भौतिक रूप से दिनांक **05.01.2023 को शाम 5.00 बजे** तक प्राप्त हो जाने चाहिये।

(3) यदि बोलीदाता बयाना राशि (बोली प्रतिभूति) में छूट चाहता है तो सक्षम स्तर/अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से स्कैन कर अपलोड करनी होगी। राजस्थान में पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग इकाईयों को सक्षम स्तर से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात ही उन्हें एम.एस.एम.ई. हेतु आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 33 के अर्न्तगत वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के लाभ देय होगें।

(4) जडी–बूटी संबंधित कार्य करने हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन आवश्यक है। पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी। पंजीकरण न्यूनतम 2 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।

(5) जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी।

(6) बोली में बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं , तो हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पावर आफ एटोर्नी की 500 रू के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति अथवा नियमानुसार दस्तावेज अपलोड करने होगे।

(7) पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी।

(8) ''बोली प्रपत्र, नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को पूर्ण रूप से पढ लिया है एवं समझ लिया है।" इस आशय की पुष्टि हेतु बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जावें एवं अपलोड किया जावे''।

(9) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के लिए यदि किसी प्रकार के विधिक लाइसेन्स की आवश्यक हो, तो उसकी प्रतियां एवं अन्य विधिक स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो बोलीदाता को उक्त लाइसेन्स एवं स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त की जाकर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी।

(10) बोलियाँ, प्रतिष्ठित अनुभवी/विख्यात निर्माता/ आपूर्तिकर्ता/थोक विक्रेता/प्राधिकृत डीलर राजकीय एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम, निगम, स्वायतशासी संस्था, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव समितियां, कम्पनियों से द्वारा ही दी जायेगी। इस आशय का घोषणा पत्र एस.आर.11 में हस्ताक्षर कर स्कैन कर प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी।

(11) बोलीदाता न्यूनतम विगत दो वर्षों से दी गई बोली से संबंधित मद में व्यापार करता हो इस आशय का स्व–घोषणा पत्र स्कैन कर अपलोड करना होगा संलग्नक–अ।

(12) बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार या उनके उपक्रम द्वारा गत तीन वर्षों में ब्लैक लिस्ट/डिबार नही किये जाने का स्व–घोषणा पत्र संलग्नक–अ।

निम्न दस्तावेज भौतिक रूप से दिनांक 05.01.2023. को शाम 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर में प्रस्तुत करें। इसके अभाव में तकनीकी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा:–

1. **बोली दस्तावेज मूल्य का ई–चालान राजस्व मद 0075–00–800–52–01**
2. **आर. आई. एस. एल. फीस का ई–चालान बजट मद 8658–00–102–(16)–(01)**
3. **बोली प्रतिभूति राशि का ई–चालान बजट मद 8443–103 (सिविल विभाग हेतु)**
4. **100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (संलग्नक–अ)**
5. **निदेशालय का टेन नम्बर 08JDHD02906B1D8 है।**

नोट :– ई–चालान बनाते समय Remarks वाले कॉलम में निविदा का कमांक एवं संक्षिप्त विवरण आवश्यक रूप से अंकित करे।

6. <u>वित्तीय बिड</u>:– वित्तीय बिड (बोली दर) के द्वितीय इलैक्ट्रोनिक लिफाफे में बोली दरें, ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक जॉब के वांछित समस्त घटको की आपूर्ति मात्रा को एक इकाई मानते हुए उसके समक्ष एक मुश्त दर अंकित की जावेगी। जी.एस.टी. को पृथक से दर्शाया जावे तथा अन्य समस्त कर/व्यय को जॉब की दर में शामिल किया जावे। जी.एस.टी. पृथक से नहीं दर्शाने पर दर कर सहित मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अलग–अलग इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे हैं।

7. बोलीदाता बोली में अंकित जॉब विशेष के समस्त घटको की उल्लेखित मात्रा के अनुसार सम्पूर्ण आपूर्ति करने हेतु बाध्य रहेगा।

8. (1)आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में आपूर्ति किये गये जॉब के घटक द्रव्यों में से कोई भी घटक द्रव्य यदि विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई. मानको के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो अस्वीकृत घटक द्रव्य को लिखित में सूचित करने की दिनांक (पत्र जारी दिनांक) से 10 दिवस में आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा बदल कर देना होगा।

(2) यदि फिर भी घटक द्रव्य विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई. मानको के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह मानते हुए की पूर्ण जॉब की आपूर्ति करने में आपूर्तिकर्ता असफल रहा है और पूर्ण जॉब की आपूर्ति अस्वीकार मानी जायेगी एवं बोली के नियम व शर्तों के अनुसार सामग्री राशि के मूल्य के परिनिर्धारित क्षति–पूर्ति (Liquidated damages)आरोपित की जाकर नियमानुसार वसूली की जावेगी।

7. अस्वीकृत होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को जॉब के समस्त आपूर्ति किये गये घटक द्रव्य स्वयं के हर्जे खर्चे पर हटाने होंगे।

8. बोलीदाता को बोली दर (वित्तीय बिड) भरने से पूर्व यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस जॉब के लिए वह दरें देना चाहता है, उस जॉब मे अंकित समस्त घटक द्रव्यों की फर्म आपूर्ति करने में सक्षम है।

9. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश , राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 व अधिनियम 2012 के प्रावधान पूर्णतः लागू होंगे।

10. बोलीदाता द्वारा कोई भी मिथ्या जानकारी दिये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
11. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी ।
12. ई–मेल से दी गई / प्राप्त की गई सूचना भी मान्य होगी।
13. वित्तीय बोली खोले जाने की सूचना तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं को ई–मेल के माध्यम से दी जावेंगी।
14. निविदत्त दरों की वैद्यता बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक अनुमोदन हेतु मान्य होंगी।
15. **ई–बोली हेतु बोलीदाता हेतु निर्देश एवं नियम :–**

(i) बोलियों में भाग लेने वाले बोलीदाता को इंटरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाईन बोली मे भाग लेने के लिए **डिजिटल सर्टीफिकेट ''इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000'' के** तहत प्राप्त करना होगा जो इलक्ट्रोनिक बोली में डिजिटल साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओ के पास पूर्व में वैघ डिजिटल सर्टीफिकेट है उनको नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजीटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव व्यक्तिगत/भौतिक बोली प्रपत्र में स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) ऑन लाईन बोलियाँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेंगी।

(iii) इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व, बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेंवें कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्कैन्ड कॉपीज बोली प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत/भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जावेंगें । कोई भी बोली इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

(iv) बोली प्रपत्रों के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर ऑनलाईन अपलोड करेंगे।

(v) समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें ।

(vi) बोली एवं बोली के किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग/ सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित/आरक्षित होगा।

(vii) बोली प्रपत्र के परिशिष्ट 1 में अंकित सामग्री की मात्रा 50 प्रतिशत तक बढाई अथवा विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी सीमा तक घटाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में दरों की गणना आनुपातिक रूप से की जावेंगी।

16. उक्त वर्णित विधि एवं शर्तों की पालना के अभाव में बोली को स्वीकार करने या न करने का अधिकार विभाग को होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

निदेशक
निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।

पूरा नाम पता :–
अधिकृत प्रतिनिधी/स्वंय प्रोप्राईटर (जो लागू नहीं हो काट दे)

तकनीकी बोली में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्नांकित प्रपत्रानुसार भरकर प्रस्तुत करावे एवं प्रत्येक पृष्ठ संख्या अंकित करावें।

क.सं.	विवरण	हॉ/नहीं	पेज नम्बर
1	बोली घोषणा पत्र		
2.	आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अनुसार ए,बी,सी,डी, एनेक्सर		
3.	बोली दस्तावेज शुल्क रू. 2,000/– ई चालान...............................		
4.	प्रोससिंग फीस रू. 1000/– ई–चालान....................................		
5	बोली प्रतिभूति राशि रू. 2.10 लाख ई–चालान.........................		
6.(i)	राशि रू. 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र **(संलग्नक – अ)**		
6.(ii)	(2 वर्ष) अनुभव का स्व–घोषणा पत्र संलग्नक–अ		
6. (iii)	बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार या उनके उपक्रम द्वारा गत तीन वर्षो ब्लैक लिस्ट/डिबार नहीं किये जाने का घोषणा पत्र संलग्नक–अ		
7	जडी–बूटी से संबंधित कार्य करने हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र (2 वर्ष पूर्व का)		
8	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी. पंजीयन		
9.	नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति		
10.	बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हस्ताक्षर करने पर विधिक पावर आफ एटॉर्नी की प्रति (500 रू के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित) या अन्य विधिक दस्तावेज		
11.	आयकर पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति		
12	**''बोली प्रपत्र, नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को पूर्ण रूप से पढ लिया है एवं समझ लिया है।" इस आशय की पुष्टि हेतु बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जावें एवं अपलोड किया जावे।''**		
13	अन्य विधिक लाईसेन्स की प्रति (यदि लागू एवं आवश्यक हो)		
14	एस. आर. – 11 के अनुसार घोषणा पत्र		

नोटः– अपलोड किये जाने वाले उपरोक्त दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित कर उसका पृष्ठ संख्या संबंधित के सामने आवश्यक रूप से अंकित करें। यदि कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जा रहा है या आवश्यक नहीं है तो कारण अंकित करें।

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

बोली घोषणा पत्र

ई– बोली विज्ञप्ति वर्ष 2022–23

(आयुर्वेदिक औषधियों के लिए जॉब वाईज कच्चे घटक द्रव्यों हेतु)

1. बोलीदाता की फर्म का पूरा नाम व पता..

   ....

2. फोन नं./मोबाईल नं. व ई–मेल आई डी...

   ....

3. बोली सम्बोधित है :– निदेशक आयुर्वेद विभाग,सावित्री चौराहा , अजमेर । टेलिफोन नं0 एवं फेक्स नं0 0145–2425047/2623943।

4. बोली शुल्क राशि रू. 2000/– ई–चालान GRN ....
   भुगतान विवरण – बैक का नाम...बैंक CIN नंबर ....
   .....
   दिनांक ....
   ....
   बोली प्रोसेसिंग राशि रू. 1000/– ई–चालान GRN...
   भुगतान विवरण – बैक का नाम...बैंक CIN नंबर ....
   ....
   दिनांक ....,...
   .....

5. बोली प्रतिभूति राशि रू. 2.10 लाख – ई–चालान GRN...
   भुगतान विवरण – बैक का नाम...बैंक CIN नंबर ....
   ....
   दिनांक ....,...
   .....

   मैं/हम ....निदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक–प.2/606/पार्ट–II/2022–23/22334 दिनांक 15.12.2022 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र में अंकित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करने व जारी किये गये संशोधित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है)

6. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 में है, उनकी मात्रा को भलीभांति देख लिया है, कुल सामग्री आपूर्ति को ध्यान में लेने के बाद वित्तीय दरें ऑनलाईन अंकित की गई है।
7. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
8. अनुमोदित दरें, अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
9. बोली शर्तों पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य वांछित आवश्यक लाईसेंस व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है।
10. (1) फर्म की चल/अचल सम्पत्ति तथा भागीदारों आदि का पूर्ण विवरणः–
    1. फर्म कभी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखी गई है। (यदि हो तो पूर्ण विवरण अंकित करें) ।

2. फर्म की निम्न चल सम्पत्ति है,

क्र.सं.	बैंक खाते का विवरण व खाता संख्या	बैंक का नाम व शाखा स्थान	IFSC code	खाते में जमा राशि
....	....	....	....	....
क.				
ख.				
ग.				

(II) अन्य चल सम्पत्तिः–

(3) फर्म की निम्न अचल सम्पत्ति है :–

क्र.सं.	अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	सम्पत्ति कहाॅ स्थित है	सम्पति का अनुमानित बाजार मूल्य
....	....	....	....
क			
ख			
ग			

(4) फर्म के निम्न भागीदार हैं :–

क्र.सं.	नाम	विवरण	पता	फोन नम्बर
......	....	....	....	....

(5) फर्म प्राइवेट/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड या संस्था है ।

(6) फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरणः–

क्र.स	नाम व पद	पता	फोन नम्बर

11. मैं/हम घोषणा करते है कि मैंनें/हमने जिन वस्तुओं/भण्डार/उपकरण हेतु बोली दी है उनके मान्य निर्माता/थोक विक्रेता/एकल वितरक/अधिकृत विक्रेता/विक्रेता/एकल विक्रेता/मार्केटिंग प्रतिनिधि है। (जो लागू हो उसे चिन्हित करें)
अगर यह घोषणा असत्य पायी जाती है तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी पूर्ण बोली/ सुरक्षा राशि जब्त की जावे एवं बोली जो स्वीकृत की गई, रद्द की जावे। साथ ही विभाग विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

पूरा नाम पता :–

अधिकृत प्रतिनिधी/स्वंय प्रोप्राईटर (जो लागू नहीं हो काट दे)

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
ई–बोली विज्ञप्ति वर्ष 2022–23 की नियम एवं शर्तें
(आयुर्वेदिक औषधियों के लिए जॉब वाईज कच्चे घटक द्रव्यों हेतु)

(1) बोली प्रपत्र की जानकारी :– ऑनलाईन बोली प्रपत्र कच्ची आयुर्वेदिक औषधियॉ/वनौषधियाँ /जड़ी बूटियॉ आदि जॉब वाईज क्रय करने बाबत

1. बोली के जिन आईटमों के लिए विस्तृत विवरण(स्पेशीफिकेशन) अंकित नहीं है, वे विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई मानको के अनुसार सप्लाई करनी होगी । विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई मानको के अनुसार अतिरिक्त निदेशक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएँ, पुष्कर रोड, अजमेर (टेलिफोन नम्बर 0145–2976286) के कार्यालय में रखे गये हैं। नमूनों को विभागीय वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
2. सामान्यतः व्यापारी से नमूने नहीं मंगवाये जायेंगे, परन्तु किसी प्रकरण में आवश्यक समझे जाने पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की सिफारिश पर क्रय अधिकारी नमूने मंगवा सकेगा ।
3. बोली में अंकित जॉब के घटक द्रव्य को विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई मानको के अनुसार जॉब वाईज सप्लाई करनी होगी ।
4. जॉब अनुसार अंकित औषध घटक द्रव्य की उल्लिखित मात्रा के अनुसार सम्पूर्ण जॉब की आपूर्ति करनी होगी। घटक द्रव्यों की अपूर्ण/आंशिक आपूर्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।
5. यदि बोलीदाता के द्वारा जॉब विशेष में किसी एक या अधिक घटक की आपूर्ति विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई मानको के अनुसार नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत घटक को अस्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस में बदल कर देना होगा। यदि फिर भी घटक द्रव्य अनुमोदित नमूने के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पूरे जॉब की आपूर्ति अस्वीकार कर दी जावेगी एवं शर्त संख्या 15 के अनुसार परिनिर्धारित क्षति–पूर्ति राशि वसूल की जावेगी।

(2) क्रय की जाने वाली वस्तु का विवरण

क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विवरण संबंधित बोली प्रपत्र में दर्शाये गयें है। जो सामग्री विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करनी है, उनके नमूने का अवलोकन **अतिरिक्त निदेशक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएँ, अजमेर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।** बोलीदाता नमूने देखने के उपरान्त ही अपनी दरें अंकित करेंगे। विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई मानको के अनुसार ही सप्लाई करनी है, बोली प्रपत्र में दर्शायी गई वस्तु के विवरण में बोलीदाता किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। परिवर्तन करने पर उस वस्तु के लिए दी गई दर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपनी ओर से परिवर्तित विशिष्टयों की दरें अंकित नहीं करेगा। अतः बोली प्रपत्र में दर्शाये विवरण को ही आधार मानकर बोलीदाता को एक ही दर अंकित करनी चाहिये। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण हेतु जॉब अनुसार कच्ची जड़ी बूटियॉ/वनौषधियां, **परिशिष्ट – 1** में अंकित मात्रा के सम्पूर्ण घटक की आपूर्ति विभागीय नमूने एवं निर्धारित ए.पी.आई मानको के अनुसार क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से **30 दिवस** में आपूर्ति करनी होगी। बोली प्रपत्र में दर्शाये गये घटक द्रव्यों के विवरण में बोलीदाता किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा अन्यथा दरें विचार योग्य नहीं होगी। एक जॉब की एक मुश्त दर अंकित की जावेगी। नमूनों को विभागीय वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

(3) ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्तुत करना :–

बोलियाँ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली विज्ञप्ति के अनुसार एवं संशोधित विज्ञप्ति मेंदर्शाये अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड विज्ञप्ति में अंकित दिनांक एवं समय पर कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर में उपस्थित बोलीदाता (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाऐं ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ई–मेल से दी जावेगी। (दूरभाष सं0 0145–2425047 0145–2623943) तत्पश्चात विभाग द्वारा बोली संबंधी किसी भी जानकारी हेतु सूचना डाक के माध्यम से भेजी जायेगी, डाक विलम्ब से पहुॅचने की स्थिति में ई–मेल के माध्यम से भेजी गई सूचना मान्य होगी, तद्नुसार पालना करनी होगी।

(4) बोली ई–प्रोक्योरमेन्ट से स्वीकार करना:–

विज्ञप्तिनुसार वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/सा. वि.ले.नि./2018 जयपुर, दिनांक 27.04.2020 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ई–ग्रास पर ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु ई–चालान से बिडर द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाइल बनानें के बाद बोली दस्तावेज मूल्य एवं R.I.S.L हेतु फीस एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

उपरोक्त तीनों राशि के जमा ई–चालान की प्रति एवं शपथ पत्र 100 रू के राजस्थान में जारी नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर कार्यालय में भौतिक रूप से दिनांक 05.01.2023 को शाम 5.00 बजे तक भिजवाया जाना आवश्यक है। अन्यथा इसके अभाव में बिड नहीं खोली जावेंगी।

(5) क्रय हेतु सक्षम अधिकारी:–

भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली प्रपत्र में अंकित जॉब के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होंगे। क्रय आदेश वित्तीय वर्ष में संबंधित रसायनशाला व्यवस्थापक द्वारा कभी भी दिये जा सकते है।

(6) वित्तीय दरें (प्रत्येक जॉब के लिए एक ही दर अंकित करना):–

सामग्री का प्रदाय बोली में अंकित रसायनशालाओं में F.O.R. करना होगा। अतः बोलीदाता प्रत्येक जॉब के समस्त घटक द्रव्यों की आपूर्ति की एक मुश्त दर वित्तीय बिड में ऑनलाईन अंकित करें।

नोट:–

(1) दरें, बिना कर के, अंकित की जावे एवं नियमानुसार लागू सभी प्रकार के करों जैसे RGST/ IGST/ CGST/ अन्य कर की राशि निर्धारित कॉलम में अलग–अलग दर्शाई जावे।

(2) क्रय अधिकारी द्वारा बोली में अंकित स्थानों की रसायनशालाओं में माल पहुॅचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।

(3) माल पहुॅचाने का एवं उतरवाने व तुलवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

(4) **बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर व उस पर कर का पृथक पृथक कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में ऑनलाईन दरों के साथ किसी प्रकार के कर का निर्धारित कॉलम में अंकन नहीं करता है तो दरें कर सहित मानी जावेगी। कर अंकित नहीं करने के पक्ष में उचित परिपत्र/आदेश तकनीकी बिड़ के साथ संलग्न करें। वित्तीय दर बिड़ में कर राशि निर्धारित कॉलम में अलग से अंकित करने पर राज्य /केन्द्र सरकार की तत्समय लागू कर दर से नियमानुसार कर राशि देय होगी । परन्तु कर राशि का पृथक से अंकन नहीं करने पर फर्म को कर राशि देय नहीं होगी वे स्वयं फर्म को वहन करनी होगी ।**

(5) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTPP Rule 2013 के नियम 65 के प्रावधान के अनुसार होगा।

(7) बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधता:–

बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें, वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या 19 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरों की वैधता **शर्त संख्या** 8 से नियंत्रित होगी।

(8) संविदा की अवधि :–

अनुमोदित/स्वीकृत दरों की वैद्यता अवधि अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष तक होगी। आगामी नई बोली होने पर उसकी दरें अनुमोदित होने की दिनांक तक पूर्व स्वीकृत दरों पर आपूर्ति करने के लिए बोलीदाता बाध्य होगा तथा विभागीय भण्डार क्रय समिति के अनुमोदन पर क्रय अधिकारी एवं बोलीदाता के आपसी सहमति पर अनुबंध अवधि छः माह के लिए उन्हीं दरों एवं शर्तों पर बढाई जा सकती है।

(9) <u>बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार जमा करायी गयी राशि का ई–चालान 100रू का शपथ पत्र स्केन कर अपलोड करना :–</u>

विज्ञप्तिनुसार वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 जयपुर, दिनांक 27.04.2020 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ई–ग्रास पर ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु ई– चालान से बिडर द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाइल बनानें के बाद बोली दस्तावेज मूल्य , R.I.S.Lहेतु फीस एवं बोलीप्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

उपरोक्त तीनों राशि के जमा ई–चालान की प्रति एवं शपथ पत्र 100 रू के राजस्थान में जारी नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) ई–बोली भरते वक्त स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

<u>नोटः–</u>

1. विभाग में किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बोली प्रतिभूति राशि हेतु समायोजित नहीं किया जावेगा।
2. जो फर्म, निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में जॉब अनुसार दर्शाये गये घटक द्रव्यों के लिए लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, उस को बोली प्रतिभूति राशि प्रभावी दरों से जमा करवानी होगी। लेकिन उन्हे अपने स्थाई पंजीकरण की एवं क्षमता प्रमाण –पत्र की प्रमाणित प्रति बोली के साथ स्कैन कर अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
3. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रम को बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने से छूट है परन्तु नियमानुसार इन उपक्रमों को राजकीय उपक्रम होने का प्रमाण पत्र तकनिकी बिड के साथ अपलोड/प्रस्तुत करना होगा।

9. (अ) **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरणः–** बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण (जब्त) कर लिया जायेगाः–

(i) जब बोली लगाने वाले बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपन्तरित करता है।

(ii) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(iii) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय /संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

(iv) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(v) जब बोली लगाने वाला अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(10) <u>निर्धारित विवरण एवं विभागीय नमूने के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति करना तथा प्रयोगशाला जाँचः–</u>

(अ) बोली प्रपत्र **परिशिष्ट–1** में उल्लेखित जॉब के घटक द्रव्यों की आपूर्ति जॉब की मात्रा के अनुसार F.O.R. सम्बन्धित रसायनशाला में आपूर्ति करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा। किसी सामग्री में लाईसेंस अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र आवश्यक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अधिकृत लाईसेंस/प्रमाण पत्र लेने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। समस्त घटक द्रव्यों की रसायनशाला में आपूर्ति होने के पश्चात सर्वप्रथम स्थानीय क्रय समिति द्वारा सामग्री का परीक्षण किया जावेंगा। स्थानीय क्रय समिति द्वारा सामग्री उचित पाई जाने के पश्चात सामग्री के नमूने लिये जाकर अनुमोदित /राजकीय प्रयोगशाला

में नमूने की जाँच ए.पी.आई के मानको के अनुसार कराई जायेंगी। राजकीय/अनुमोदित प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन में सामग्री ए.पी.आई के मानको के अनुरूप पाये जाने पर ही आपूर्ति स्वीकार्य होगी। राजकीय प्रयोगशाला द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट ही निर्णायक एवं अंतिम रूप से मान्य होगी। सामग्री अस्वीकृत होने पर प्रयोगशाला व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा। सामग्री की आपूर्ति उचित मजबूत पैकिंग में करनी होगी। पैकिंग व्यय अलग से देय नहीं होगा।

(ब) जिन घटक द्रव्यों का मानक अनुमोदित ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है उन घटक द्रव्यों का इन हाउस स्पेसिफिकेशन (IHS) आपूर्तिकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना होगा।

(11) स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतानः—

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय, अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो, तो यह माल प्रेषित करने के सबूत पर (यथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा) वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर दिया जायेगा। अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा बोलीदाता को भुगतान नहीं किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जाने पर दिया जायेगा ।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जायेंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के संबंध में देय राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(iv) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

(12) बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को न देनाः—

बोलीदाता बोली किसी अन्य ऐजेन्सी को न तो Sublet करेगा और न ही अन्य एजेन्सी से सामग्री की सप्लाई करवाएगा।

(13) समानान्तर बोलीः—

विभाग के पास समानान्तर बोली तय करने का अधिकार सुरक्षित रहेंगा।

(14) क्रय की मात्राः—

(अ) क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है, वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दिये जायेंगे। भण्डार क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत की सीमा तक के लिए क्रय आदेश बढाया जा सकता है।

(ब) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं बोलीदत्त वस्तुओं की कोई खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा खरीदता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

(15) सामान सप्लाई की अवधिः—

बोलीदाता को जॉब की आपूर्ति क्रयादेश जारी दिनांक से 30 **दिन** में करनी होगी। 30 **वें दिन** राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के **दोपहर** 2.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी। क्रय आदेश जारी दिनांक प्रथम दिवस माना जायेंगा, विशेष परिस्थिति में आपूर्ति अवधि 30 **दिवस** को पारस्परिक सहमति से कम किया जा सकेगा।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है "सम्पूर्ण जॉब की(कर सहित) कीमत के आधार पर" परिनिर्धारित क्षति पूर्ति के रूप में (न कि दण्ड के रूप में) राशि वसूल की जावेगी।

(क)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर	2.5 प्रतिशत
(ख)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर	5 प्रतिशत
(ग)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर	7.5 प्रतिशत
(घ)	माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर	10 प्रतिशत

सामान्यतः क्रयादेश जारी करने की दिनांक से 60 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में प्रदाय अवधि समाप्ति से पूर्व उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह इसके लिए निवेदन, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा, बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई है, तो सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति पूर्ति सहित या रहित भी की जा सकेगी। (केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण जॉब के कर सहित मूल्य पर 10 प्रतिशत के रूप में परिनिर्धारित क्षति पूर्ति वसूल कर सामग्री स्वीकार की जा सकेगी) सामग्री की आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर तुरन्त निदेशक आयुर्वेद विभाग एवं अतिरिक्त निदेशक रसायनशाला को लिखित में व दूरभाष पर अवगत कराना अनिवार्य होगा ताकि विवाद की स्थिति में तद्नुसार साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

(16) <u>आदेशित आपूर्ति के अभाव में बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :–</u>

1. बोलीदाता क्रयादेश की आपूर्ति अनुमोदित नमूने के अनुसार निर्धारित अवधि में या शर्त संख्या 15 के अध्याधीन बढी हुई अवधि में करने में असफल रहता है, तो ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेश जारी कर्ता अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण होगा कि जॉब के लिए आवश्यक घटक द्रव्यों की अपूर्ण आपूर्ति हुई है, तथा बोलीदाता समस्त जॉब की आपूर्ति में असफल रहा है, तथा जॉब के लिए की गई अपूर्ण आपूर्ति के घटक द्रव्यों को उठाने का निर्देश कर सकेगा तथा सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति पूर्ति आरोपित करने के आदेश दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप विभाग/क्रेता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह जॉब के अपूर्ण आपूर्ति किये गये घटक द्रव्यों में शेष रहे द्रव्यों को बोलीदाता की जोखिम व लागत पर क्रय समिति के माध्यम से क्रय कर सकेंगे। जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं होगा।

(17) <u>प्राईस फॉल क्लोजः–</u>

यदि अनुबंध अवधि में बोलीदाता राज्य सरकार की अन्य किसी भी बोली में अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा अनुबन्ध अवधि के दौरान उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है तो उसे सदस्य सचिव ,भण्डार क्रय समिति ,आयुर्वेद विभाग अजमेर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है , उसी दिनांक से आयुर्वेद विभाग को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी । **अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण–पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।**

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तों की पालना नहीं की गई है तो बोलीदाता, विभाग से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद तुरन्त जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा, राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(18) <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना:–</u>

(अ) भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत की गई वस्तुओं की सूचना जारी करने पर बोलीदाता को पत्र जारी होने के 7 दिन के अन्दर आदेशित मूल्य के लिए नियमानुसार अपेक्षित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध कर निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति_राशि, आदेशित मूल्य के **2.5 प्रतिशत** के बराबर निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को जमा करानी होगी, अनुबन्ध पत्र के साथ बोलीदाता द्वारा जॉब के लिए अनुमोदित दर का घटकवाईज दर का ब्रेकअप विवरण प्रस्तुत करना होगा। **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में सम्पूर्ण बोली की जमा करायी गई प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी :–**

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ बैंक गारन्टी जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम हो ।
2. एन.एस.सी./एफ.डी.आर. (फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो, निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम प्लेज्ड हो।

नोटः–

1. पूर्व वर्षो की जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि /बोली प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नहीं किया जावेगा।
2. वर्तमान बोली की बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमों का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमों का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
3. जो फर्म निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में दर्शाई गई जिन किसी वस्तुओं के लिये लघु उघोग इकाई के रूप में पंजीकृत है, उन्हे उन वस्तुओ के लिये उस समय प्रभावी दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
4. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को सुरक्षा राशि जमा कराने से छूट प्राप्त है।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगाः–

(I) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(II) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(III) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(स) बोलीदाता, करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i)यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजिकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं वर्ष सहित पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।

(iii)एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

(19) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा न कराने , अनुबन्ध पत्र भरकर न देने एवं अनुबन्ध की पालना नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि व कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करना एवं आगामी बोलियों से विवर्जित करना :–

यदि कोई सफल बोलीदाता नियम 18 में दर्शाई गई अवधि 7 दिवस में अथवा वृद्वि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है ,एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी । इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध की पालना नहीं करने अर्थात माल की आपूर्ति / कार्य नहीं करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ–साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत तीन वर्ष तक के लिए बोली लगाने से विवर्जन किया जा सकेगा।

(20) बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटानाः–

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है तो ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात या बोली पर निर्णय जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी। (यदि संबंधित बोलीदाता के विरूद्व कोई राशि बकाया न हो)
2. सफल बोलीदाता के विरूद्व किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं हो, तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को आदेशित आपूर्ति का सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरूद्व कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा (बोली शर्त सं0 18 के अनुसार) निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेंगी। (यदि बोलीदाता के विरूद्व कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो)

4. बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी। चाहे बोलीदाता की कुल आपूर्ति हेतु संविदा की अनुमानित राशि कितनी भी कम हो।**

(21) अस्वीकृत वस्तुऍं/अपील/स्टोरेज चार्जेजः–

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुऍं अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृती की सूचना जारी होने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को आपूर्तिकर्ता को स्वयं अपने खर्चे से उठा लेना होगा।

2. निर्धारित अवधि 15 दिवस के बाद भी अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओं के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह स्टोरेज चार्जेज आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जावेगा। जो अस्वीकृत वस्तुओ के मूल्य से अधिक नहीं होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

3. आपूर्तिकर्ता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना जारी होने की दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नहीं उठाने पर संबंधित व्यवस्थापक, रसायनशाला द्वारा अस्वीकृत माल की नीलामी/नष्ट (जैसी परिस्थितियॉं हो) कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

4. आपूर्तिकर्ता स्थानीय क्रय समिति के निर्णय के विरूद्व अपील, अस्वीकृति की सूचना जारी होने की दिनांक से 15 दिन की अवधि में केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के समक्ष कर सकेगा । केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति में अपील करने हेतु बोलीदाता द्वारा विवादित सामग्री / जॉब मूल्य की 1 प्रतिशत राशि फीस के रूप में जमा करवानी होगी । उक्त फीस किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जावेगी । 15 दिवस के पश्चात अपील का अधिकार नहीं होगा । केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा **पुनर्निरीक्षण** की अपील को स्वीकार किये जाने एवं माल को पुनः अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्टोरेज चार्जेज की अवधि की गणना उपरोक्त बिन्दु 21(2) के अनुसार प्रथम 15 दिवस के पश्चात अथवा अपील के निर्णय के दिनांक से की जावेंगी।

5. अपील पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति का निर्णय बोलीदाता को मान्य होगा ।

(22) सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटानाः–

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोखे ,बोरियॉ ,डिब्बे पत्तियॉ आदि होगा वह निःशुल्क होगा तथा बोलीदाता को लौटाया नहीं जावेगा। बोलीदाता सप्लाई करने वाले माल को ठीक ढंग से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(23) राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देनाः–

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुॅचाना ,गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार्य नहीं की जावेगी। और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(24) सुरक्षित अधिकारः–

भण्डार कय्र समिति, आयुर्वेद विभाग को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें ,सबसे कम दर स्वीकार न करके ऊंची दरें, स्वीकृत कर ले, अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(25) कानूनी विवाद क्षेत्रः–

बोलीदाता द्वारा उपापनकर्ता अधिकृति के निर्णय से असहमत होने पर RTPP Act की धारा 38 से 40 तथा RTPP नियम 83 से 85 में प्रदत प्रावधान अनुसार प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर पर अपील के निर्णय के पश्चात विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

(26)वास्तविक व्यापारी द्वारा बोली भरी जाना/बिल प्रस्तुतीकरणः–

बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी अधिकृति से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है उसी अधिकृति से बिल आदि भुगतान हेतु विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकृति के द्वारा प्रस्तुत बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेंगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(27) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अविलम्ब बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले के सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को संवेदक द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए संवेदक की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

(28) संबंधित कार्य हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र :– कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग में उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना होगा। साथ ही जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि स्केन कर अपलोड करना होगा।

(29) (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

(ii) आर.आर.(R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) भुगतान करने पर किए गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

(30). बीमाः–

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे –युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्धारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेंगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेंगी।

(31) **वसूलियांः**– परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से की जायेंगी । कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(32) अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारः–

1. बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि के संबंध में भण्डार क्रय समिति द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. भण्डार क्रय समिति को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(33) निजी शर्ते लगाकर बोली प्रस्तुत करनाः–

बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी।

(34) निरीक्षण अधिकारीः–

बोलीदाता की फर्म या कम्पनी की निर्माणशाला/दुकान/गोदाम का निरीक्षण करने का अधिकार अति. निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा। जिसके व्यय का वहन फर्म को करना होगा।

(35) बोली शर्तो में शिथिलता करने का अधिकारः–

बोली शर्तों में शिथिलता करने हेतु केवल केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति में शक्तियां निहित है।

(36) **मूल्य अधिमान व क्रय अधिमानः–** मूल्य अधिमानता/ क्रय अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों के अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी। एम.एस.एम.ई. के लिए वित्त विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 अनुसार एम.एस.एम.ई. यूनिट को अधिसूचना में अंकित निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही क्रय अधिमान /मूल्य अधिमान का लाभ देय होगा।

(37) तकनीकी बिड बोली का भाग होगा। तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज उसी क्रम में संलग्न करें, जिस क्रम में बिड में अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

(38) ई–बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं सूचना बोली का भाग है।

(39) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04. 02.13 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है।

(40) उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार होगी।

(41) उक्त बोली शर्तों में किसी भी प्रकार लिपीकीय त्रुटि होने पर स्थानीय क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(42) केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति L-1 के अतिरिक्त बोलीदाता की दरें स्वीकृत करने के लिए भी अधिकृत होंगी।

(43) अपीलः– प्रथम अपील अधिकारी उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव आयुर्वेद विभाग राज. जयपुर होगे।

निदेशक
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों/नियमों को ध्यान पूर्वक पढ लिया है तथा इनकी पालना करने को सहमत हूँ/है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील एवं दिनांक

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा
(देखिए नियम 48–VII)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/ स्टोर्स/ उपकरणों के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

<u>संलग्नक – अ</u>

<u>शपथ पत्र 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर</u>

नोटरी द्वारा सत्यापित

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि, मैंने/हमने आयुर्वेद औषधियों के निर्माण हेतु जाँबवार कच्चे घटक द्रव्यों के क्रय हेतु तकनीकी बोली बाबत निर्देश बिन्दु सं. 03 के अनुसार क्रम संख्या 1 से 12 तक में जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/ अन्य सूचना संलग्न किए गये हैं, वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। हमारी फर्म को गत तीन वर्षों में राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग/उपक्रम द्वारा दण्ड स्वरूप ब्लेकलिस्ट/डीबार नहीं किया गया है। हमारी फर्म न्यूनतम विगत दो वर्षों से भी अधिक समय से दी गई बोली से संबंधित मद में व्यापार करती है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो कोई न्यायिक कार्यवाही किये बिना एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई, उस रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर स्वतंत्र है।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक नोटरी द्वारा प्रमाणित

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any ; and
(h) disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to … ……………………. for procurement of …………………. in response to their Notice Inviting Bids No.………………. Dated …………… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the marking of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of Bidder

Place: Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process The designation and address of the First Appellate Authority is Joint/Deputy Secretary, Ayurved and Indian Medicine Department, Rajasthan, Jaipur.The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, Ayurved and Indian Medicine Department, Rajasthan, Jaipur.

Filling an appeal If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed From along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

    (i) Name of the appellant:

    (ii) Official address, if any:

    (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

    (i)

    (ii)

    (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

……………..……………………………………………………………………………………… ……. (Supported by an affidavit)

7. ……… …..Prayer:

…………………………………………………………..

Place ....

Date ....

Appellant's Signature:

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit be shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there in an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, words or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing Quantites among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

ई–बोली जॉब वाईज औषधि के घटक द्रव्य वर्ष 2022–23

(सामान्य बोली के तहत जॉब)

सूची रसायनशाला अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर/केलवाडा के लिए कच्ची औषधियों,वनौषधियाँ एवं जडी बूटियाँ आदि औषधियाँ के घटक जिन्हे नमूने के अनुसार जॉब वाईज आपूर्ति करनी है:–

जॉब का नाम/संख्या आनन्द भैरव रस (1)

आपूर्ति जहॉ की जानी है:–रसायनशाला अजमेर

क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	सौंठ	ZINGIBER OFFICINALE	सूखा कन्द	186.000
2	पीपल छोटी	PIPER LONGUM	फल	186.000
3	काली मिर्च	PIPER NIGRUM	फल	186.000
4	गंधक	SULPHUR	खनिज	186.000
5	वत्सनाभ	ACONITUM FEROX	कन्द	186.000
6	हिंगुल	CINNABAR	खनिज	186.000
योग				**1116.00**

जॉब का नाम/संख्या अर्क वटी (2)

आपूर्ति जहॉ की जानी है:–रसायनशाला अजमेर

क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	कालीमिर्च (कृष्ण मरीच)	PIPER NIGRUM	फल	459.00
2	नौसादार ठीकरी	AMMONIUM CHLORIDE	खनिज	459.00
3	काला नमक	BLACK SALT	लवण	459.00
4	गौंद धावडा	ANOGEISSUS LATIFOLIA	गोंद	138.00
5	ग्वार गम	CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA	गोंद	35.00
	योग			**1550.00**

जॉब का नाम/संख्या पथ्यादि चूर्ण (3)

आपूर्ति जहॉ की जानी है:–रसायनशाला अजमेर

क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	हरड	TERMINALIA CHEBULA	फलत्वक	1515.00
2	सोंठ	ZINGIBER OFFICINALE	कन्दसुखा	1515.00
3	अजवाईन	TRACHYSPERMUM AMMI	फल	1515.00
	योग			**4545.00**

जॉब का नाम/संख्या विषम ज्वरारि वटी (4)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला अजमेर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	चिरायता कटू	SWERTIA CHIRATA	पंचाग	620.00
2	ग्वार गम	CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA	गोंद	125.00
3	गौंद धावडा	ANOGEISSUS LATIFOLIA	गोंद	125.00
4	शंखिया पीला	ARSENIC	खनिज	12.40
	योग			**882.40**

जॉब का नाम/संख्या हरीतकी चूर्ण (5)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला जोधपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	हरड़ छाल	Terminelia Chebula	फलत्वक	4040.00
योग				**4040.00**

जॉब का नाम/संख्या आमलकी चूर्ण (6)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला जोधपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	ऑवला सूखा गुठली रहित	emblica officinalis	fruit फल	**5000.00**
	योग			**5000.00**

जॉब का नाम/संख्या पीपली चूर्ण (7)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला जोधपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	पीपल छोटी	piper longum	fruit फल	**2000.00**
	योग			**2000.00**

जॉब का नाम/संख्या शतावरी चूर्ण (8)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला जोधपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	शतावरी	asparagus racemosus	rhizomeकन्द	**5000.00**
	योग			**5000.00**

जॉब का नाम/संख्या गोदन्ती भस्म (9)				
आपूर्ति जहॉ की जानी है:–रसायनशाला भरतपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	गोदन्ती हरताल	calcium sulphate	Mineral	2000.00
	योग			2000.00

जॉब का नाम/संख्या बालसुधा भस्म (10)				
आपूर्ति जहॉ की जानी है:–रसायनशाला भरतपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	अशुद्व सुहागा	sodium pyroborate element	मिनरल	2000.00
	योग			2000.00

जॉब का नाम/संख्या मुस्तकादि क्वाथ (मौसमी बीमारी हेतु (11)				
आपूर्ति जहॉ की जानी है:–रसायनशाला भरतपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	नागरमोथा	cyperus rotundus	कन्द	667.00
2	पित्त पापडा	fumaria vaillanii	पचांग	667.00
3	मधुयष्टि	glycyrrhiza glabra	मूल	667.00
4	लौंग	syzygium aromaticum	पुष्प कलिका	667.00
5	तालीस पत्र	abies webbiana lindle	पत्र	667.00
6	मुनक्का	vitis vinifera	शुष्क फल	665.00
	योग			4000.00

जॉब का नाम/संख्या वेदना नाशक (12)				
आपूर्ति जहॉ की जानी है:–रसायनशाला उदयपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	तुत्थ	COPPER SULPHATE	खनिज	120.25
2	रेवत चीनी	RAEUM EMODI	मूल	375.00
3	एलुआ	ALOE BARBADENSIS	सार	375.00
4	हरिद्रा (हल्दी)	CURCUMA LONGA	कन्द	375.00
5	आम्बा हल्दी	CURCUMA AMADA	कन्द	375.00
6	सुहागा	BORAX	खनिज	375.00

	अशुद्ध			
7	फिटकरी श्वेत	POTAS ALUM	खनिज	302.40
8	मुल्तानी मिटटी		—	25.00
	योग			2322.65

जॉब का नाम/संख्या महारास्नादि क्वाथ (13)				
आपूर्ति जहाँ की जानी हैः—रसायनशाला उदयपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	रास्ना	PLUCHEA LANCEOLATA	पत्र	5000.00
2	धमासा	FAGONIA CRETICA	पंचांग	100.00
3	खरेटी	SIDA CORDIFOLIA	मूल और बीज	100.00
4	एरण्ड जड	RICINUS COMMUNIS	मूल	100.00
5	देवदारु	CEDRUS DEODARA	काण्डसार	100.00
6	कचूर	CURCUMA ZEDOARIA	कन्द	100.00
7	बच्छ	ACORUS CALAMUS	कन्द	100.00
8	अडूसा पत्र	ADHATODA VASICA	पत्र	100.00
9	हरड	TERMINALIA CHEBULA	फल (बीज रहित)	100.00
10	सौफ	FOENICULUM VULGARE	फल	100.00
11	चव्य	PIPER CHABA	मूल	100.00
12	नागरमोथा	CYPERUS ROTUNDUS	कन्द	100.00
13	साठी की जड	BOERSLLVIA DIFFUSA	मूल	100.00
14	गिलोय	TINOSPORA CORDIFOLLA	काण्ड	100.00
15	विदारा	ARGYREIA NERVOSA	मूल	100.00
16	गोखरु	TRIBULUS TERRESTRIS	फल	100.00
17	अशगंध	WITHANIA SOMNIFER	मूल	100.00
18	सौठ	ZINGIBER OFFICINALE	कन्द	100.00
19	अतीश	ACONITUM HETEROPHYLUM	कन्द	100.00
20	अमलताश	CASSIA FISTULA	फलमज्जा	100.00
21	शतावरी	ASPARAGUS RACEMOSUS	मूल	100.00
22	पीपर	PIPER LONGUM	फल	100.00
23	धनिया	CORIANDRUM SATIVUM	फल	100.00
24	छोटी कटेरी	SOLANUM SURATTENSE	पंचांग	100.00
25	बडी कटेरी	SOLANUM ANGUIVI	पंचांग	100.00
	योग			7400.00

जॉब का नाम/संख्या अर्जुनत्वक चूर्ण (14)				
आपूर्ति जहॉं की जानी हैः–रसायनशाला उदयपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	अर्जुनछाल	TERMINALLIA ARJUNA	छाल	5000.00
	योग			5000.00

जॉब का नाम/संख्या दद्रुदावानल (15)				
आपूर्ति जहॉं की जानी हैः–रसायनशाला उदयपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	तुत्थ	COPPER SULPHATE	खनिज	211.00
2	राल	SHOREA ROBUSTA	निर्यास	316.50
3	फिटकरी श्वेत	POTAS ALUM	खनिज	527.50
4	सुहागा अशुद्ध	BORAX	खनिज	527.50
5	मुर्दा श्रृंगी	LITHARGE	खनिज	527.50
6	नौसादर	NH_4CL	खनिज	844.00
7	गंधक उटियॉ	SULPHUR	ELEMENT	1055.00
	योग			4009.00

जॉब का नाम/संख्या नैत्र बिन्दू (16)				
आपूर्ति जहॉं की जानी हैः–रसायनशाला उदयपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	गुलाब पुष्प सुखा	ROSA	पुष्प	200.00
2	फिटकरी श्वेत	POTAS ALUM	खनिज	40.00
3	रसौत	BERBERIS ARISTATA	काण्डसार	40.00
4	हरिद्रा (हल्दी)	CURCUMA LONGA	कन्द	40.00
5	कर्पूर देशी	CINNAMOMUM CAMPHORA	निर्यास	20.00
	योग			340.00

जॉब का नाम/संख्या कृष्ण मरहम (17)				
आपूर्ति जहॉं की जानी हैः–रसायनशाला उदयपुर				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	तिल तेल	RESAMUM INDICUM (OIL)	तेल	1500.00

2	सिन्दूर	RED OXIDE	खनिज	675.00
	योग			2175.00

जॉब का नाम/संख्या गिलोय चूर्ण (18)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला केलवाडा				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	गिलोय काण्ड	Tinospora Cardipholia	काण्ड	10000.00
	योग			10000.00

जॉब का नाम/संख्या कंटकारी चूर्ण (19)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला केलवाडा				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	कंटकारी	Solanum xanphocarpum	पंचाग	5000.00
	योग			5000.00

जॉब का नाम/संख्या अमलतास चूर्ण (20)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला केलवाडा				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	अमलतास	Cassiafistula	फल मज्जा	2000.00
	योग			2000.00

जॉब का नाम/संख्या धान्यपंचक क्वाथ (21)				
आपूर्ति जहॉ की जानी हैः–रसायनशाला केलवाडा				
क्र. सं.	नाम घटक द्रव्य	बोटनिकल नाम	उपयोगी भाग	जॉब हेतु मात्रा (किलो. में)
1	धनिया	CASIANDRUM SATIUM	बीज	1000.00
2	मुस्तक	CIPERUS ROTANDUS	कन्द	1000.00
3	सौठ	ZINGBERO OFFICINALE	कन्द	1000.00
4	बिल्वगिरी	AEGLEMARMELOS	फल मज्जा	1000.00
5	सुगंधबाला	PAVONIA ODORATA	पंचाग	1000.00
	योग			5000.00

मैने/हमने बोली प्रपत्र मे वर्णित सभी शर्तो/नियमों को ध्यान पूर्वक पढ लिया है तथा इसकी पालना करने को सहमत हूँ/है एवं उक्त सामग्री के आपूर्ति करने हेतु अपनी दरें जॉब वाईज ई–बोली के अन्तर्गत ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक वित्तीय बिड मे देने हेतु सहमत हूँ।

बोली दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निदेशक
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांक–प.2/लेखा–3/क्रय/औ.मां.एवं उपा./पार्ट–II/606/2022–23/22334 दिनांक: 15/12/2022

ई– बोली विज्ञप्ति वर्ष 2022–23

(आयुर्वेदिक औषधियों के लिए कच्चे घटक द्रव्यों के क्रय हेतु)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागीय रसायनशालाओं के उपयोगार्थ निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुभवी/विख्यात निर्माता/ आपूर्तिकर्ता/थोक विक्रेता/प्राधिकृत डीलर राजकीय एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम, निगम, स्वायतशासी संस्था, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव समितियां, कम्पनियों से आयुर्वेदिक कच्ची औषधियाँ, वन औषधियाँ एवं जड़ी बूटियां आदि जॉब वाईज सामग्री अनुमानित राशि रू. 105.00 लाख रसायनशालाओं के लिये क्रय करने हेतु ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन बोली फार्म डाउन लोड प्रारम्भ करने की तिथि 15.12.2022 दोपहर 3.00 बजे से है तथा बोली फार्म अपलोड करने की अन्तिम दिनांक 05.01.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक है।

बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, www.dipr.rajasthan.gov.in., sppp.rajasthan.gov.in एवं health.rajasthan.gov.in/ **ayurved** पर भी देखी जा सकती है ।

Jobwise jadi buti UBN No – AYU2223GLOB00106

निदेशक